

न्यायालय जिला कलेक्टर एवं प्रथम अपील अधिकारी, टोंक

प्रकरण संख्या

45 / 2020

भागचन्द पुत्र बजरंगलाल निवासी सी-2/60 सेक्टर 20 रोहिणी नगर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास दिल्ली पिन-110086

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मालपुरा जिला-टोंक

--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक 17-12-2020

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मालपुरा को आवेदन पत्र दिनांक 6-9-2020 को प्रेषित कर निम्न सूचना चाही गई थी :-

Hi Sir, my name is Bhagchand s/o Bajrang Lal. Government allotted Agriculture land in Bagdi to my father Bajrang Lal s/o Kalyan Caste Khatik Khasra No 1047 1. I need land buyer or seller information from 1975 to 1985. Village Name - Bagdi, Tehsil - Malpura, District - Tonk, Khasra Number - 1047, Please find the attached jamabandi details. Thanks Bhagchand 9999208457.

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मालपुरा से आवेदक को सूचना नहीं दिये जाने के संबंध में जवाब तलब किया गया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मालपुरा ने उनके पत्र क्रमांक 4615 दिनांक 17-12-2020 से अवगत कराया है कि वॉंछित सूचना तहसील कार्यालय मालपुरा से सम्बन्धित थी। तहसीलदार मालपुरा से सूचना प्राप्त कर आवेदक को कार्यालय के पत्र क्रमांक 4614 दिनांक 17-12-2020 से जवाब भिजवा दिया गया न्यायालय हाजा में प्रस्तुत जवाब की प्रति भिजवाई गई है, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मालपुरा तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।



(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलेक्टर टोंक

